न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर

अपील संख्या :– 01/2025
जीसीएमएस नं0– 2025/31

1. सूजा देवी पत्नि स्व0 नाथूलाल
2. लक्ष्मा देवी पत्नि स्व0 रामनाथ पुत्री स्व0 नाथूलाल
3. रामेश्वरी पत्नि स्व0 रामनाथ पुत्री स्व0 नाथूलाल
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम ईसरावाला, ग्राम पंचायत चौंप, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.....अपीलार्थीगण

–बनाम–

1. सुवालाल पुत्र नानचा, जाति जाट, निवासी ग्राम बिलौंची, ग्राम पंचायत बिलौंची, तह0 आमेर, जिला जयपुर।
2. ग्राम पंचायत बिलौंची, तह0 आमेर, जिला जयपुर।

.....रेस्पोडेंटगण

अपील विरूद्ध आदेश सरपंच ग्राम पंचायत बिलौंची, तह0 आमेर, दिनांक 15.11.1975 बाबत प्रविष्टि संख्या 348 ग्राम बिलौंची, तह0 आमेर

निर्णय **दिनांक :–** 18.06.2025

संक्षेप में अपीलार्थीगण ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत निम्न आधार व उजरात पर प्रस्तुत की है कि अपीलांट नंबर एक के पति स्व0 नाथूलाल व अपीलांट नं0 2 व 3 के पिता स्व0 नाथू की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 86, 87 वाके ग्राम बिलौंची, तहसील आमेर में स्थित थी, जिसके हाल खसरा नम्बर निम्न है:– 560, 574, 575. 576, 577 है जिसके 1/2 हिस्से का स्व0 नाथू खातेदार काश्तकार था। स्व0 नाथू का देहान्त हो जाने पर उसकी हिस्से की खातेदारी का नामान्तकरण ग्राम हल्का पटवारी की इस रिपोर्ट के साथ भरकर पेश किया कि नाथू के कोई लडका नहीं होने पर रेस्पोंडेट नं0 एक उसके गोद गया है। इस आधार पर ग्राम पंचायत ने भी नामान्तकरण पर यह नोट लगा कर कि नाथू के भाई नानचा का लडका सुवा गोद गया हुआ सही है। नाथू के हिस्से की भूमि का नामान्तकरण रेस्पोडेंट ने अपने आपको फर्जी तरीके से गोद पुत्र बताकर खुलवा लिया, जो गलत है एवं निरस्तनीय है। स्व0 नाथू ने एवं अपीलांट नं0 एक ने रेस्पोडेंट नं0 एक को कभी भी गोद नहीं लिया। उसका नाथू से कोई संबंध नही है। उसके वारिस एवं उत्तराधिकारी तो केवल मात्र उसकी औरत एवं उसकी लड़कियां है मगर रेस्पोडेंट नं0 एक ने पटवारी से एवं ग्राम पंचायत से मिलीभगत करके अपने आपको गोद पुत्र बतला कर उक्त नामान्तकरण खुलवाया है, जो गलत एवं निरस्तनीय है। विवादित भूमि पर अपीलांट ही काबिज काश्त है, जिन्हें रेस्पोडेंट नं0 एक का पिता यह कहता रहा कि नाथू की भूमि उनके नाम से लगी हुई है। यह कह कर नानचा अपीलांट को जो पैदावार होती थी उसमें हिस्सा देता रहा, इसलिए अपीलांट को उक्त नामान्तकरण की जानकारी नहीं हो सकी। अपीलांट ने अभी कुछ दिनों पूर्व पटवारी हल्का से जाकर जमाबंदी की नकल प्राप्त की तो उन्हे ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि की खातेदारी तो नानचा व उसके पुत्र रेस्पोडेंट संख्या एक के नाम से ही है। इस पर अपीलांट ने नामान्तकरण की नकल दिनांक 18.08.2007 को निकलवाई तब उन्हें सारी जानकारी हुई। इसलिए उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है। बिना अपीलांट को नोटिस दिये बिना एवं सबूत शहादत का अवसर दिये बिना रेस्पोडेंट संख्या 1 के स्व0 नाथू का फर्जीदाडे से गोद पुत्र बतला कर उक्त नामान्तकरण खोला है जो निरस्तनीय है। अपीलांटस स्व0 नाथू की औरत एवं लड़किया है, जो स्व0 नाथू की वारिस एवं उत्तराधिकारी है। रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम नामान्तकरण अवैध तरीके से खोला है जिसे निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील मंजूर की जाकर अधि0 ग्राम पंचायत द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम से खोला गया नामान्तकरण प्रविष्टि संख्या 348 निरस्त फरमाया जावें।

अपील दर्ज रजिस्ट्रर कर रेस्पोडेंटगण की तलवी पूर्ण की गई। अपीलाधीन नामान्तकरण की पत्रावली मंगवाई गयी।

प्रार्थीया/अपीलांट सूजा देवी लक्ष्मादेवी व रामेश्वरी देवी की ओर से नामा0 संख्या 348 दिनांक 15.11.1975 ग्राम पंचायत बिलौंची के विरूद्ध अपील में लिखित बहस पेश की जिसका सार इस प्रकार है:– अपीलांट संख्या 1 सूजा देवी के पति स्व0 नाथू व अपीलांट संख्या 2 व 3 लक्ष्मा देवी व रामेश्वरी देवी के पिता स्व0 नाथू की खातेदारी की कृषि भूमि राजस्व ग्राम बिलौंची, तहसील आमेर, जिला जयपुर राज0 में थी जिसके गत खसरा नम्बर 86, 87 व हाल खसरा नम्बर 560, 574, 575, 576, 577 कुल किता 5 कुल रकबा 3.18 हैक्टे0 के 1/2 हिस्से की स्व0 नाथू खातेदार काश्तकार था। स्व0 नाथू का देहान्त हो जाने पर उसके हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि का फौती नामान्तकरण ग्राम हल्का पटवारी की इस रिपोर्ट के साथ भरकर पेश हुआ कि "नाथू के कोई लडका नही होने पर रेस्पोण्डेंट संख्या एक सुवालाल उसके गोद गया है" इस आधार पर ग्राम पचांयत ने भी नामान्तकरण पर यह नोट लगा कर कि नाथू के भाई नानछा का लडका सुवा गोद गया हुआ सही है। इस प्रकार स्व0 नाथू के हिस्से की भूमि का नामान्तकरण रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपने आपको फर्जी तरीके से गोद पुत्र बतला कर अपने नाम से उक्त नामान्तकरण खुलवा लिया जो गलत होने के कारण निरस्तनीय है। स्व0 नाथू ने एवं अपीलांट संख्या 1 ने रेस्पोण्डेंट संख्या 01 को कभी भी गोद नही लिया है तथा स्व0 नाथू के विधिक वारिस एवं उत्तराधिकारी तो केवल मात्र उसकी औरत एवं जायन्दा पुत्रियां ही है, लेकिन रेस्पोण्डेंट संख्या 1 ने पटवारी से एवं ग्राम पंचायत से मिलीभगत करके अपने आपको गोद पुत्र बतलाकर उक्त नामान्तकरण फर्जी तरीके से खुलवाया है जो विधि विरूद्ध व अवैध होने के कारण व प्रारम्भ से ही शून्य व बेअसर होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही उक्त बिन्दू पर विस्तृत विवेचना माननीय राजस्व मंडल द्वारा आरआरडी दिस0 2001 पेज 550 पर उदमी देवी बनाम चवली वगै0 में की गई है, जिससे भी उक्त अपील को काफी बल मिलता है। अपीलांट संख्या 1 अनपढ, बुर्जुग,विधवा महिता होने व अपीलांट संख्या 2 व 3 भी अनपढ, निरक्षर तथा दोनो ही विधवाएं होने के कारण से अपने प्राकृतिक पिता स्व0 नाथू की उक्त विवादित खातेदारी कृषि भूमि का गलत तरीके से नामान्तकरण खुलने का पता अपने परिवार में कोई भी व्यस्क पुरूष व साक्षर महिला व पुरूष नहीं होने, व अत्यंत ही गरीब स्थिति में जीवन यापन करने के कारण, उक्त भूमि अपने नाम न होने का व राजस्व रिकार्ड का पता नही लग सका, तथा उक्त फर्जी व अवैध तरीके से खुले नामान्तकरण में ग्राम पंचायत द्वारा न तो स्व0 नाथू के विधिक वारिसानों को कोई नोटिस दिया गयाा और न ही किसी सबूत शहादत की आवश्यकता ही समझी और न ही विधिक वारिसानों को पक्षकार बनाया गया जिस कारण से स्व0 नाथू के वास्तविक व विधिक वारिसानों को उक्त अवैध नामान्तकरण की जानकारी नही हो सकी, तथा उक्त विवादित आराजीयात अपीलांट के नाम नही होने का तब पता लगा जब रेस्पोडेंट संख्या 01 उक्त आराजी को गुपचुप ही विक्रय करने के लिए अगस्त 2007 में कई भूमाफियाओं को दिखाने लगा तब अपीलांट ने अपनी उक्त आराजी के बारे में गांव के पटवारी से सम्पर्क कर पुछताछ की तो पटवारी ने उक्त जमीन सुवालाल के नाम से होने का बताया तथा कैसे व कब, नाम होने की बात तहसील व कलेक्ट्री में जाकर करने की कही, उसके बाद अपीलांट ने वकील के माध्यम से उक्त जमीन के कागज निकलवाकर पता किया तो उक्त माामले की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 20.08.2007 को अपीलांट को उक्त विवादित जमीन अपने नाम नही होने का पता लगा, उसके बाद अपीलांट ने रेस्पोडेंट संख्या 1 को अपनी जमीन अपने नाम करवाने के लिए कहा तो रेस्पोण्डेंट संख्या 1 ने कहा कि आगामी 1 तारीख को उक्त नामान्तकरण को निरस्त

उपखण्ड अधिकारी
जिला जयपुर

करवाने के लिए जयपुर चल चलुंगा, उसके बाद पुनः अपीलांट ने 01.09.2007 को रेस्पोडेंट संख्या 1 सुवाला के पास गई तो वह स्पष्ट इंकार हो गया तथा अपीलांट को कहने लगा कि उक्त तुम्हारी जमीन मैने मेरे नाम करवा ली है, क्योंकि मेरी राज में उंची पहुंच तथा सेटींग है और मैं उक्त जमीन मेरे नाम करवाने के कारण इसे बेचकर नाजायज फायदा उठाउंगा, यह कहकर आवेश में आ गया तथा जो चाहों वो कर लेने की धमकी देकर चला गया। इस प्रकार उक्त नामान्तकरण संख्या 348/15.11.1975 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलांट को दिनांक 20.08.2007 को हुई जिसकी अपील श्रीमान के समक्ष दिनांक 02.09.2007 को अन्दर मियाद पेश कर दी तथा उक्त बिन्दु पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी आरआरटी 2010(1) पेज 509 पर निम्न मत रहा है:– Limitation will start the date of knowledge in case of decree obtained by fraud. इस प्रकार अपील अन्दर मियाद होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य है। उक्त नामा0 स्व0 नाथू के वारिसान व उत्तराधिकारियों मृतक की पत्नी व जायन्दा पुत्रियों को बिना नोटिस दिये व बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उक्त नामान्तकरण खोला गया है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण अवैध रूप से खोला गया है तथा किसी भी अवैध या विधि विरूद्ध आदेश के विरूद्ध अपील करने की मयाद नही होने के कारण उक्त अपील में मयाद अधिनियम की धारा 5 लागू नही होती है तथा मयाद अधिनियम की धारा 3 में लिखा है कि किसी भी विधि विरूद्ध आदेश को कभी भी किसी समय चैलेन्ज किया जा सकता है, जो कि इस बिन्दु पर माननीय उच्च न्यायालय की विवेचना आएलडब्ल्यू 1999(1) राज0 पेज 686 में ब उनवानी राजूराम बनाम राज0 राज्य में "जब आदेश ही अविधिमान्य हो तो विलम्ब का अवरोध नही होगा।" तथा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आरआरडी 1992 पेज 17 में भी रामकुवांर बनाम राज0 राज्य में विवेचना निम्न प्रकार से है:– " Impugned order, illegal and nonest such an order can be challenged at any time " इस प्रकार अवैध नामान्तकरण खारिज लायक है। विधिक वारिसानों को उत्तराधिकारी घोषित करवाने की आवश्यकता नहीं होती है तथा किसी भी विधि विरूद्ध आदेश को अपील पेश करने के लिए न्यायालय की इजाजत प्राप्त करने की भी आवश्यकता नही होती है क्योंकि अविधिक आदेश की अपीलीय मयाद की समय सीमा नही होती है। इसलिए उक्त विधि विरूद्ध आदेश की अपील का मयाद अधिनियम में समय सीमा नही होने के कारण उक्त अपील व धारा 5 मयाद अधिनियम को एक साथ ही सुनकर मैरिट पर निर्णित किया जाना भी आवश्यक है तथा उक्त बिन्दू पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आरआरडी 1998 पेज 319 पर विस्तृत विवेचना की गई है। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की उक्त अपील स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत बिलौंची, तह0 आमेर द्वारा खोला गया नामान्तकरण संख्या 348 दिनांक 15.11.1975 अवधिमान्य व प्रारम्भ से ही शून्य व बेअसर होने के कारण निरस्त फरमाया जाकर मृतक नाथू के विधिक वारिसानों के नाम से नामान्तकरण खोले जाने के आदेश फरमावें।

रेस्पोण्डेंट की ओर से प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 भू0राजस्व अधिनियम प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलाण्टगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त उनवानी अपील प्रस्तुत करते समय न्यायालय से अपील इजाजत परमिशन नही ली है तथा अपील इजाजत बाबत वाक्यात अपनी मीमो ऑफ अपील में भी तकमील व तहरीर नही किया है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट पक्षकार नही हो तो उस निर्णय के खिलाफ अपील प्रस्तुत करते समय न्यायालय से अपील प्रस्तुत बाबत इजाजत लेना Mandatory Provision है, किन्तु अपीलांट द्वारा ऐसा न कर कानूनी प्रावधानों की अवहेलना की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न उच्च न्यायालयों एवं माननीय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वगै0 ने स्पष्ट प्रावधान जैसे 1974 SC 994, 1126, 1982 सु0 को0 पेज 149, 1993 आरआरडी–45, 232, 1996 आरबीजे पी 135 में स्पष्ट

सिद्धान्त प्रस्तुत किया है कि An appeal filled without obtaining permission from the court of appeal is incompetent and cannot be maintained. इसलिये उपरोक्त अपील मैन्टेनेबल नही होने के कारण काबिले खारिज है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील Incompetent होने के कारण मय हर्जे खर्चे खारिज फरमायी जावें।

—:: आदेश ::—

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत अपील नामान्तकरण संख्या 348 स्वीकृत दिनांक 15.11.1975 ग्राम बिलौंची, तहसील आमेर के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त नामान्तकरण ग्राम पंचायत बिलौंची द्वारा दिनांक 15.11.1975 को स्वीकार किया गया है जिसकी अपील दिनांक 03.09.2007 को प्रस्तुत की गई है। उक्त अपील को न्यायालय के आदेश दिनांक 20.09.2019 द्वारा पूर्व में ही प्रार्थना पत्र द्वारा मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अन्दर मियाद घोषित किया जा चुका है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 86, 87 वर्तमान खसरा नम्बर 560, 574, 575, 576 व 577 ग्राम बिलौंची के संबंध में दावा बाबत घोषणा उनवानी नानछा बनाम सुवालाल विचाराधीन है जिसका उल्लेख न्यायालय हाजा की आदेशिका दिनांक 20.05.2014 में किया गया है। उक्त वाद की वर्तमान स्थिति की जानकारी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील यह कथन करते हुए प्रस्तुत की गई है कि विवादग्रस्त कृषि भूमि साबिक ख0न0 86, 87 हाल ख0न0 560, 574, 575, 576 व 577 के 1/2 भाग की खातेदारी स्वर्गीय नाथू की थी। स्व0 नाथू की अपीलार्थिया संख्या 01 सूजा देवी पत्नी है तथा अपीलार्थीयां संख्या 02 व 03 पुत्रियां है। स्व0 नाथू की मृत्यू उपरान्त विवादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण संख्या 348 दिनांक 15.11.1975 प्रत्यर्थी संख्या 01 सुवालाल द्वारा अपने आपको नाथू का गोद पुत्र बताते हुए करवा लिया जबकि वह कभी भी स्व0 नाथू के गोद नही गया था तथा अपीलार्थीगण ही स्वर्गीय नाथू के वारिस है। अतः उक्त नामान्तकरण अपास्त किया जावे अपीलार्थीगण द्वारा अपनी अपील के समर्थन में नाथू के मृत्यूप्रमाण पत्र, सूजा देवी का निर्वाचन पहचान पत्र, राशन कार्ड, बिजली बिल नाथूराम, वारिस प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र व अपीलार्थी नामान्तकरण की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गई है। दस्तावेजों की फोटो प्रतियों को साक्ष्य के रूप में मान्यता नही दी जा सकती है, फिर भी न्यायहित में इन दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। स्व0 नाथू के मृत्यू प्रमाण पत्र की फोटो प्रति में नाथू पुत्र चन्दा की मृत्यू दिनांक 26.12.1971 अंकित की गई है। सूजा देवी द्वारा जो निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है उसमें सुजा देवी की जन्म दिनांक वर्ष 1990 अंकित की गई है। इन दोनो दस्तावेजो से स्पष्ट है कि जब सूजा देवी का जन्म वर्ष 1990 में हुआ है तो वह स्वर्गीय नाथू पुत्र चन्दा जिसकी मृत्यू वर्ष 1971 में हो चुकी थी, की पत्नी होना असंभव है। इसी प्रकार जयपुर विघुत वितरण निगम द्वारा जारी विद्युत बिल की जो फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है उसमें नाथू पुत्र नानगा जाट अंकित किया हुआ है तथा उक्त बिल में नियत भुगतान तिथि दिनांक 16.09.2010 अंकित की हुई है। इससे स्पष्ट है कि यदि विद्युत बिल स्व0 नाथू पुत्र चंदा के नाम का नही है, जिसकी मृत्यू वर्ष 1971 में हो चुकी थी तथा जिसके वारिस होने का दावा अपीलार्थीगण करते है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त वर्णित दस्तावेजों की फोटो प्रतियां अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई है जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण द्वारा हस्तगत अपील न्यायालय को गुमराह करने की दृष्टि से अमान्य एवं असंबद्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रस्तुत की गई है। उक्त अपील पूर्णतः वेक्शेसियस(Vexatious) है तथा अपास्त किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर

उपर्युक्त विवेचन से हस्तगत अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

आज दिनांक 18.06.2025 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बजरंग लाल स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
आमेर, जिला जयपुर